मानक शर्तें

विषयः– जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र द्वारा बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु पाईप पेयजल आपूर्ति परियोजनान्तर्गत जनपद–सोनभद्र की पटवध ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु ग्राम–कनछ के आराजी सं0 4ग वन भूमि में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु 400X150=60000 वर्ग मीटर (6.00 हे0) व पाईप लाइन हेतु 1200X2.5 मी0=3000 वर्गमीटर (0.3 हे0) तथा जैकवेल (क्वार्टर) 40X25=1000 वर्ग मीटर (0.100हे0) योग (6.4हे0) एवं ग्राम कनछ के आराजी संख्या–1 मि0 सोन नदी गैर वन भूमि में 50X6=300 वर्गमीटर (0.0300हे0) इन्टेकवेल चैम्बर तक जाने हेतु पाइप लाइन एवं नदी के अन्दर इन्टेकवेल चैम्बर 5X5=25 वर्गमीटर (0.0025 हे0) योग (0.0325हे0) कुल योग–6.4325 हे0 भूमि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव।

(वन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक 7314/14–3–1980/82 dt.31.12.85 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/ आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नही।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं।
5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. राज्य पेयजल एवं स्वच्छ्ता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग–उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित पेयजल योजना से सम्बंधित क्षेत्र के वन विभाग के कर्मचारियों को शुद्ध पेयजलापूर्ति की सुविधा उपलबध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि

(अँकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

11. डब्ल्यू.टी.पी., जैकवेल, इन्टेक वेल एवं राइजिंग मेन पाइप लाइन निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में निहित आदेशों का पालन भी किया जायेगा।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. डब्ल्यू.टी.पी.,जैकवेल, इन्टेक वेल एवं राइजिंग मेन पाइप लाइन निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा यदि फिर भी पेड़ो का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वनसंरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि डब्ल्यू.टी.पी., जैकवेल, इन्टेक वेल एवं राइजिंग मेन पाइप लाइन निर्माण में भू–रक्षण की सम्भावना होती है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।

मैं तकनीकी सलाहकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

(अँकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन